Press Release

TATA POWER-DDL

शुक्रवार, 03 जुलाई, 2026 **प्रेस विज्ञप्ति**

नई दिल्ली

टाटा पावर-डीडीएल ने वित्त वर्ष 2026-27 में बिजली चोरी के 7 मामलों में दोषियों को सजा दिलवायी; पटियाला हाउस अदालत ने जारी किए सजा के आदेश

- *बिजली चोरी में लिप्त पाए गए व्यक्ति को हाल में अदालत ने एक माह के कठोर कारावास और 10,000/ रु जुर्माने की सजा सुनायी, तथा गैर-कानूनी तरीके से बिजली का उपयोग करने के लिए 3,79,124/ रु की देनदारी भी तय की*

राजधानी में नॉर्थ दिल्ली में करीब 90 लाख की आबादी को बिजली सप्लाई करने वाली अग्रणी पावर यूटिलिटी **टाटा पावर-डीडीएल** ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान, अब तक बिजली चोरी के 7 मामलों में सजा दिलवाने में सफलता हासिल की है। इनमें हाल में, पटियाला हाउस अदालत द्वारा सुनाया गया फैसला भी शामिल है जिसके अनुसार बिजली चोरी में लिप्त पाए गए एक व्यक्ति के खिलाफ अदालत ने एक माह के कठोर कारावास, 10,000 रु के जुर्माने की सजा सुनाने के साथ-साथ कुल 3,79,124/रु की देनदारी भी निर्धारित की है।

इस मामले में, टाटा पावर-डीडीएल के कार्पोरेट एन्फोर्समेंट ग्रुप ने बिजली चोरी संबंधी एक शिकायत मिलने पर 17 फरवरी, 2023 को पंप हाउस, ग्राम तोड़ापुर, दसघरा, दिल्ली के नज़दीक डब्ल्यूज़ेड-462 के सामने बनी एक अनधिकृत झुग्गी पर छापा मारा। इस दौरान, श्री देवी प्रसन, पुत्र श्री राज कुमार को, जो कि मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, अपने घरेलू परिसर में उपयोग के लिए एलटी नेटवर्क डिस्ट्रिब्यूशन बॉक्स से गैर-कानूनी तरीके से बिजली लेने का दोषी पाया गया। एन्फोर्समेंट टीम ने कुल 7.408 kW के कनेक्टेड लोड का आकलन किया और पाया कि इस परिसर में घरेलू उपयोग के लिए गैर-कानूनी तरीके से बिजली ली जा रही थी। इस परिसर में कंक्रीट मिक्सर मशीन के कमर्शियल इस्तेमाल और ई-रिक्शाओं की चार्जिंग के अलावा अन्य कई बिजली उपकरणों का उपयोग किया जा रहा था। जांच के दौरान, कुल 3,79,124/- रु की बिजली चोरी का अनुमान लगाया गया। इस पूरी कार्रवाई

को फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी की मदद से रिकार्ड किया गया था, और बिजली चोर के लिए इस्तेमाल की जा रही गैर-कानूनी तारों को हटाकर उन्हें सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया।

पटियाला हाउस अदालत में माननीय श्री सैयद जिशान अली वार्सी की अदालत ने श्री देवी प्रसन को इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जब्ती मीमो, साइट प्लान, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफिक साक्ष्यों तथा एन्फोर्समेंट टीम के बयानों के आधार पर, विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुच्छेदों 135 तथा 150 के तहत् बिजली चोरी का दोषी पाया और एक माह की जेल के साथ ही 10,000 रु के जुर्माने की सजा सुनायी। इसके अलावा, गैर-कानूनी तरीके से बिजली का उपयोग करने के लिए, अनुच्छेद 154(5) के तहत, उनके खिलाफ 3,79,124/- रु की देनदारी भी तय की है।

अदालत द्वारा बिजली चोरी के खिलाफ जारी इस फैसले ने टाटा पावर-डीडीएल द्वारा नियमित रूप से अभियान चलाने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के प्रयासों को मजबूती प्रदान की है। साथ ही, यह संदेश भी पुरजोर तरीके से दिया है कि बिजली चोरी दंडनीय अपराध है जिसके आपराधिक और वित्तीय परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

इस घटनाक्रम के बारे में, **प्रवक्ता, टाटा पावर-डीडीएल** ने कहा, *"इस प्रकार के फैसलों से राजधानी दिल्ली में बिजली का अनुशासित प्रयोग करने में मदद मिलती है। बिजली चोरी के अभियुक्तों को सजा मिलने की इस घटना ने अपने परिचालन क्षेत्र में बिजली चोरी की बुराई को पूरी तरह से दूर करने के हमारे संकल्प को और मजबूती दी है। हम अपने उपभोक्ताओं से अनैतिक व्यवहार से दूर रहने और जिम्मेदार उपभोक्ता बने रहने का आह्वान करते हैं।"*

इस प्रकार की कार्रवाई हमें भरोसेमंद बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ सस्टेनेबल और किफायती बिजली उपलब्ध कराने, सामुदायिक विकास में सहयोग करने और उपभोक्ताओं के अनुभवों को लगातार बेहतर बनाने के हमारे प्रयासों में भी सहायक होती है।

टाटा पावर-डीडीएल के बारे में

टाटा पावर-डीडीएल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और टाटा पावर के बीच संयुक्त उद्यम है। कंपनी उत्तरी दिल्ली में लगभग 90 लाख की आबादी को बिजली आपूर्ति करती है। टाटा पावर-डीडीएल बिजली वितरण के क्षेत्र में सुधारों के स्तर पर अग्रणी है और इसने उपभोक्ता-केंद्रित व्यवहारों के लिए अपनी साख बनायी है। निजीकरण के बाद, टाटा पावर-डीडीएल के वितरण इलाकों में एटीएंडसी नुकसान में रिकॉर्ड कमी आयी है। वर्तमान में, एटीएंडसी नुकसान 5.42% है, और जुलाई 2002 में 53% के शुरुआती नुकसान स्तर की तुलना में इसमें अप्रत्याशित रूप से कमी आई है। टाटा पावर-डीडीएल के बारे में और जानकारी के लिए देखें: www.tatapower-ddl.com

For further information please contact:

Corporate Communications:

John Edwin (9910082270)

Slough PR:

Abhishek Anand (9711061540)